<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012025-260637 CG-DL-E-30012025-260637

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

No. 58]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2025/माघ 10, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2025/MAGHA 10, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2025

सं. 05/2025- सीमाश्ल्क (गै.टै.)

सा.का.िन. 87(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उप-वाक्य (कक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/1997-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, जिसे सा.का.िन 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥, खण्ड 3, उपखण्ड (i), में प्रकाशित किया गया था, में निम्न्लिखित और आगे भी संशोधन करता है, यथा :-

799 GI/2025 (1)

उक्त अधिसूचना में, सरणी में, क्रम संख्या 10 के समक्ष, राजस्थान राज्य के सम्बन्ध में, कॉलम (3) और (4) में, कॉलम (3) में मद (ix) को और कॉलम (4) की उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्न्लिखत मद और प्रविष्टियों के अन्तः स्थापित किया जाएगा . यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)
		" (x) किशनगढ़	आयातित माल की उतराई और निर्यातित माल या ऐसे माल की किसी अन्य श्रेणी की लदाई।"।

[फा. सं. CBIC-50394/9/2024-(AS)]

सुप्रिया चंद्रन, अवर सचिव

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना सं संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 को सा.का.िन 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2025-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 17 जनवरी, 2025 जिसे सा.का.िन. 77 (अ), दिनांक 27 जनवरी, 2025 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में ई-प्रकाशित किया गया था. के द्वारा संशोधित की गयी थी।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2025

No. 05/2025-Customs (N.T.)

**G.S.R. 87(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-Customs (N.T.) dated the 2<sup>nd</sup> April, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 193 (E), dated the 2<sup>nd</sup> April, 1997, namely:-

In the said notification in the Table, against serial number 10 relating to the State of Rajasthan, in column (3) and (4), after item (ix) in column (3) and the entries relating thereto in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
		-	Unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.".

[F.No. CBIC-50394/9/2024-AS]

SUPRIA CHANDRAN, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), vide Notification No. 12/97-Customs (N.T.), dated the 2nd April, 1997, vide number G.S.R. 193 (E), dated the 2nd April, 1997 and was last amended vide Notification No. 04/2025-Customs (N.T.) dated the 17<sup>th</sup> January, 2024 e-published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 77(E), dated 27<sup>th</sup> January, 2025.